W/R

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

(1) निगरानी / एलआर /8153/2001/ जिला झुंझुनू

1— अशोक कुमार पुत्र नोरंगराम
2— मनीराम पुत्र नोरंगराम
3— सावित्री पुत्री नोरंगराम
4— सिकती पुत्री नोरंगराम
5— सन्तोष उर्फ मोहिनी पुत्री नोरंगराम
6— रामजीलाल पुत्र रामनाथ
7— मोहरसिंह पुत्र भावाराम
8— राजेन्द्रसिंह पुत्र रामकरण
9— रामसिंह पुत्र रामकरण
समस्त जाति जाट, निवासी श्यामपुरा उर्फ चारणवास तहसील व जिला झुझुंनू।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1— चुन्नीलाल पुत्र श्रीमालाराम
2— दयाराम पुत्र चुन्नीलाल
3— सुरेन्द्रकुमार पुत्र चुन्नीलाल
4— हरदयाल पुत्र चुन्नीलाल
5— सुभाष पुत्र चुन्नीलाल
समस्त जाति जाट, निवासी श्यामपुरा उर्फ चारणवास तहसील व जिला झुझुंनू।
6— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार।

.....अप्रार्थीगण

(2) निगरानी / एलआर /510/2003/ जिला झुंझुनू

1— चुन्नीलाल पुत्र श्रीमालाराम
2— दयाराम पुत्र चुन्नीलाल
3— सुरेन्द्र कुमार पुत्र चुन्नीलाल
4— हरदयाल पुत्र चुन्नीलाल
5— सुभाष पुत्र चुन्नीलाल
समस्त जाति जाट, निवासी श्यामपुरा उर्फ चारणवास तहसील व जिला झुझुंनू।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1— अशोक कुमार पुत्र नोरंगराम

2– मनीराम पुत्र नोरंगराम
3– सावित्री पुत्री नोरंगराम
4– सिकती पुत्री नोरंगराम
5– रामजीलाल पुत्र रामनाथ
6– मोहरसिंह पुत्र भावाराम
7– राजेन्द्रसिंह पुत्र रामकरण
8– रामसिंह पुत्र रामकरण
समस्त जाति जाट, निवासी श्यामपुरा उर्फ चारणवास तहसील व जिला झुझुंनू।
9– राज0 सरकार जरिये तहसीलदार झुंझुनू।

.....अप्रार्थीगण

एकलपीठ
श्री मूलचन्द मीणा, सदस्य

उपस्थित :
श्री दूनीचन्द डिढारिया एवं अजयपाल डिढारिया, अभिभाषकगण प्रार्थीगण निगरानी संख्या 510/2003 एवं अप्रार्थीगण निगरानी संख्या 8153/2001.
श्री मुकेश जैन, अभिभाषक प्रार्थीगण निगरानी संख्या 8153/2001 एवं अप्रार्थीगण निगरानी संख्या 510/2001.

निर्णय

दिनांकः– 30/10/2012

1– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 84 व धारा 9 के अन्तर्गत यह दोनों निगरानियां न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर कैंप झुंझुनू द्वारा अपील संख्या 20/2001 में पारित निर्णय दिनांक 5–12–01 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। दोनों ही निगरानियों में वादग्रस्त भूमि, विवाद का बिन्दु व वादग्रस्त पक्षकारान समान होने से एक साथ सुनवाई की गयी और दोनों निगरानियों का इस आदेश द्वारा एक साथ निस्तारण किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में रखी जावे।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि नायब तहसीलदार झुंझुनु ने प्रार्थीगण के विरूद्ध ग्राम पातूसरी की गैर मुमकिन जोहड़ की भूमि खसरा नंबर 47/2 में 1649 वर्ग गज भूमि पर मकान व बाडे बनाकर अतिक्रमण करने पर भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अंतर्गत कार्यवाहीं कर दिनांक 8–3–95 को बेदखली एंव शास्ती के आदेश पारित किये। जिसकी प्रथम अपील जिला कलेक्टर व द्वितीय अपील राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा निरस्त की गई। उक्त आदेशों के विरूद्ध प्रार्थीगण ने राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की।

राजस्व मंडल ने निगरानी संख्या 117/95/झुन्झुनु में पारित अपने आदेश दिनांक 17–08–98 द्वारा प्रकरण तहसीलदार झुंझुनू को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि विवादित भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्तकारी अधिनियम से पूर्व का है अथवा बाद का, इसकी जांच की जावे तथा इसकी भी जांच की जावे की इसी चारागाह जोहड की भूमि में समान परिस्थितियों में अन्य व्यक्त्यिों को भी ग्राम पंचायत ने आवासीय पटटे जारी किये है अथवा नहीं। तहसीलदार झुंझुनू ने बाद जांच प्रकरण संख्या 54/99 में आदेश दिनांक 13–11–2000 द्वारा ग्राम पंचायत को निर्देश दिये कि प्रकरण नियमन योग्य है। पूर्व में ग्राम पंचायत 600 वर्ग गज के पटटे जारी कर चुकी है तथा शेष 1049 वर्ग गज भूमि के पटटे सशुल्क अप्रार्थी के पक्ष में जारी किये जावे। निगरानी संख्या 8153/2001 के प्रार्थीगण अशोककुमार आदि द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अपर जिला कलेक्टर झुंझुनु के यहां प्रस्तुत की गई जो अपील संख्या 23/2001 के रुप में आदेश दिनांक 07–03–2001 द्वारा स्वीकार की गई और तहसीलदार झुन्झुनु द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–11–2000 को निरस्त कर दिया। उक्त आदेश दिनांक 07–03–2001 के विरूद्ध वर्तमान निगरानी संख्या 510/2003 के प्रार्थीगण चुन्नीलाल आदि ने द्वितीय अपील संख्या 20/2001 राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर कैंप झुंझुनू के यहां प्रस्तुत की। राजस्व अपील प्राधिकारी ने दोनों पक्षों को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 05–12–2001 द्वारा अपील आंशिक स्वीकार कर 1049 मे से 400 वर्गगज का नियमन करते हुये शेष भूमि से चुन्नीलाल आदि को बेदखल करने के आदेश दिये। इस आदेश दिनांक 05–12–2001 के विरुद्ध अशोककुमार आदि द्वारा निगरानी संख्या 8153/2001 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जावे अर्थात अतिरिक्त कलेक्टर, झुन्झुनु द्वारा अपील संख्या 23/2001 में पारित आदेश दिनांक 07–03–2001 को बहाल रखा जावे। साथ ही चुन्नीलाल आदि द्वारा निगरानी संख्या 510/2003 मंडल में प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि सम्पूर्ण भूमि 1649 वर्गगज के नियमन बाबत तहसीलदार द्वारा जारी आदेश को बहाल रखा जावे।

3– उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4– निगरानी संख्या 510/2003 के निगरानीकर्ता चुन्नीलाल आदि की तरफ से विद्वान अभिभाषक श्री दूनीचन्द एवं श्री अजयपाल डिढारिया ने निगरानी प्रार्थनापत्र के तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 (6) से प्रभावित भूमि किस्म मानने व केवल 1000 गज भूमि पांच परिवार के व्यक्तियों को नियमन कराने की पात्रता मानने में त्रुटि

कारीत की गयी है। विवादित आराजी 1649 वर्ग गज भूमि का 5 अलग अलग परिवार होने के कारण समस्त भूमि नियमन करने के आदेश दिये जाने चाहिये थे। तहसीलदार झुंझुनु द्वारा जिला कलेक्टर के आदेश दिनांक 7–8–89 की पालना में 1649 वर्ग गज भूमि पांच परिवारों को नियमानुसार नियमन की गई थी, क्योंकि प्रार्थीगण गांव के पुराने निवासी होने से नियमन के अधिकार रखते थे। अपीलीय न्यायालय ने प्रार्थीगण को 5 अलग परिवार न मानकर एक ही परिवार मान कर गलती की है। राज्य सरकार के परिपत्र अनुसार एक परिवार 1000 वर्गगज भूमि नियमन कराने का अधिकारी है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार झुन्झुनु का आदेश दिनांक 13–11–2000 बहाल रखा जावे और शेष रही 649 वर्गगज भूमि भी प्रार्थीगण के पक्ष में नियमन किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

5– उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये निगरानी संख्या 8153/2001 के प्रार्थीगण अशोककुमार आदि की तरफ से विद्वान अभिभाषक श्री मुकेश जैन का तर्क है कि जिला कलेक्टर द्वारा भूमिहीन, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिये रिहायशी प्रयोजनार्थ 3 बीघा 4 बिस्वा जोहड की भूमि आबादी हेतु ग्राम पंचायत को आवंटित की है। तहसीलदार द्वारा ग्राम पंचायत को उक्त भूमि चुन्नीलाल आदि अप्रार्थीगण के नाम नियमित करने के आदेश देने का अधिकार नहीं था। इस भूमि में से अप्रार्थीगण को 1649 वर्ग गज भूमि देने के आदेश निरस्त योग्य होने से ही अपर जिला कलेक्टर द्वारा प्रथम अपील स्वीकार की गई थी। प्रार्थीगण को पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा 600 वर्ग गज भूमि के आवासीय पट्टे जारी किये जा चुके हैं। इसके उपरान्त वह अतिरिक्त भूमि लेने के अधिकारी नहीं थे। अतः निगरानी संख्या 510/2003 खारिज की जावे और निगरानी संख्या 8153/2001 स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपीलार्थीगण चन्नीलाल आदि को 400 वर्गगज अतिरिक्त भूमि दिये जाने की सीमा तक निरस्त किया जावे।

6– दोनों अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों के साथ आलोच्य आदेश का आद्योपान्त अवलोकन एवं अध्ययन किया गया और विद्वान अभिभाषकगण के तर्कों पर मनन किया गया।

7– हस्तगत दोनों निगरानियों में संयुक्त रुप से विवाद का मुख्य बिन्दु यह है कि निगरानी संख्या 510/2003 के प्रार्थीगण चुन्नीलाल आदि सम्पूर्ण 1649 वर्गगज भूमि का पुराने रिहायशी कब्जे के आधार पर नियमन चाहते हैं, जैसा कि तहसीलदार झुन्झुनु के आदेश दिनांक 13–11–2000 द्वारा ग्राम पंचायत को आदेश दिये गये हैं। दूसरी तरफ निगरानी संख्या 8153/2001 के प्रार्थीगण अशोक

कुमार आदि का तर्क यह है कि चुन्नीलाल आदि 600 वर्गगज से अधिक भूमि के नियमन के पात्र नहीं है जिसके लिये ग्राम पंचायत द्वारा उनको पूर्व में ही पट्टे दिये जा चुके हैं। अतः राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा 400 वर्गगज के नियमन हेतु दिये गये आदेश नियम विरुद्ध होने से निरस्तनीय है।

8— उपरोक्तानुसार मुख्य विवादित बिन्दु की दृष्टि से हमने तहसीलदार झुन्झुनु के आदेश दिनांक 13—11—2000, अतिरिक्त कलेक्टर, झुन्झुनु के आदेश दिनांक 07—03—2001, राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के आलोच्य आदेश दिनांक 05—12—2001 का अवलोकन एवं उपलब्ध अभिलेख के आधार पर उस पर मनन किया। निगरानी संख्या 117/95/झुन्झुनु में पारित मण्डल के आदेश दिनांक 17—08—1998 अनुसार तहसीलदार द्वारा मुख्यतः यह परीक्षण करना था कि क्या वादग्रस्त भूमि पर चुन्नीलाल आदि (वर्तमान निगरानी संख्या 510/2003 के प्रार्थीगण) का कब्जा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रभाव में आने से पहले का है और यह कि क्या समान परिस्थितियों में जमीन जैर बहस पर अन्य व्यक्तियों को भी रहवासी उद्देश्य हेतु नियमन पट्टा जारी किया गया है। उक्त दोनों बिन्दुओं पर जांच रिपोर्ट के साथ, यदि प्रकरण नियमन योग्य पाया जावे तो तहसीलदार द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करना था, क्योंकि नियमों में तहसीलदार को नियमन/आवंटन की शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। तहसीलदार द्वारा ग्राम पंचायत की मिसल संख्या 92/14 निर्णय दिनांक 14—02—1971 तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग की रिपोर्ट दिनांक 02—09—2000 को आधार बनाया गया है। ग्राम पंचायत की पत्रावली अनुसार चुन्नीलाल आदि का कब्जा लगभग 1966 से साबित है जबकि सार्वजनिक निर्माण विभाग की जांच रिपोर्ट दिनांक 02—09—2000 अनुसार लगभग 30 साल पुराना कब्जा है। अर्थात **उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से वादग्रस्त भूमि पर चुन्नीलाल आदि का कब्जा 1966 से माना जा सकता है।** तहसीलदार द्वारा भी यह माना गया है कि ग्राम पंचायत के नोटिस के आधार पर 1966 से कब्जा साबित है। किन्तु विरोधाभासी निष्कर्ष अंकित करते हुये तहसीलदार द्वारा इस बिन्दु को अर्थात 1955 से पहले के कब्जे के बिन्दु को चुन्नीलाल आदि के पक्ष में तय किये जाने का पर्याप्त आधार मान कर ग्राम पंचायत को अपने निर्णय दिनांक 13—11—2000 द्वारा यह निर्देश प्रदान कर दिये कि चुन्नीलाल आदि के पक्ष पूर्व में जारी 600 वर्गगज के अलावा 1049 वर्गगज भूमि के और पट्टे जारी किये जावें। इस प्रकार **तहसीलदार द्वारा 1955 से पूर्व के कब्जे बाबत जो निष्कर्ष अंकित किया है वह उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत है।**

9— हमारा यह भी मत है कि **तहसीलदार चरागाह/जोहड़ भूमि पर पुराने कब्जे को नियमित करने के लिये अधिकृत भी नहीं था। राज्य सरकार की 1971 की अधिसूचना को अधिसूचना क्रमांकः प.6 (21) राज./4/83 दिनांक 02—02—1983 द्वारा संशोधित किया गया था जिसके अनुसार नियमन तब किया जा सकता था जबकि तहसील स्तरीय आवंटन सलाहकार समिति नियमन का निर्णय करे।** तदनुसार, अगर प्रकरण अन्यथा विहित शर्तों अनुसार चुन्नीलाल आदि के पक्ष में नियमन योग्य था तो भी तहसीलदार द्वारा प्रकरण को अपनी अभिशंषा के साथ आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिये था।

10— जिला कलेक्टर द्वारा **आबादी हेतु ग्राम पंचायत को आवंटित भूमि में से पट्टे जारी करने के निर्देश ग्राम पंचायत को देने के लिये तहसीलदार सक्षम नहीं था। आबादी हेतु ग्राम पंचायत को आवंटित भूमि का निस्तारण ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज अधिनियम एव उसके तहत बने नियमों के अनुसार किया जाता है।** यह न्यायालय इस बिन्दु पर अतिरिक्त कलेक्टर, झुन्झुनु द्वारा अपील संख्या 23/2001 में पारित आदेश दिनांक 07—03—2001 से पूर्णतः सहमत है कि **तहसीलदार द्वारा ग्राम पंचायत को इस प्रकार के निर्देश देना क्षेत्राधिकार के बाहर है।**

11— जहां तक राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अंकित निष्कर्षों का प्रश्न है, हमारा मत है कि न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी को भी पुराने कब्जे के आधार पर 400 वर्गगज भूमि का नियमन करने का आदेश देने का क्षेत्राधिकार नहीं था। **आवंटन/ नियमन करने का अधिकार न्यायालयों को नही है। यह एक प्रशासनिक अधिकार है जिस पर आवेदकगण की पात्रता, भूमि की उपलब्धता आदि का परीक्षण करके निर्णय करने का अधिकार आवंटन सलाहकार समिति को है।** अतः हमारे मत अनुसार राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर द्वारा भी अपील संख्या 20/2001 का निर्णय दिनांक 05—12—2001 करते समय, 400 वर्गगज भूमि प्रार्थीगण चुन्नीलाल आदि को आवंटित करने का आदेश देकर क्षेत्राधिकार के परे आदेश पारित किया गया है जो कि विधिक एवं क्षेत्राधिकार की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण आदेश है।

12— उपरोक्त अनुच्छेद 8 से 11 में किये गये विवेचन के आधार पर इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि तहसीलदार झुन्झुनु द्वारा प्रकरण संख्या 54/99 में पारित आदेश दिनांक 13—11—2000 और राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर कैम्प झुन्झुनु द्वारा अपील संख्या 20/2001 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 05—12—2001 क्षेत्राधिकार से परे एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है और अतिरिक्त कलेक्टर, झुन्झुनु द्वारा अपील संख्या

23/2001 में पारित आदेश दिनांक 07–03–2001 बहाल रखे जाने योग्य है। तदनुसार हस्तगत निगरानी संख्या 8153/2001 स्वीकार किये जाने योग्य हैं और निगरानी संख्या 510/2003 खारिज किये जाने योग्य है।

13– जहां तक निगरानी संख्या 510/2003 के प्रार्थीगण चुन्नीलाल आदि के पक्ष में पुराने के कब्जे के आधार पर नियमन करने का प्रश्न है, यह एक प्रशासनिक मामला है जिसके लिये प्रार्थीगण चुन्नीलाल आदि अगर इच्छुक हों, तो सक्षम प्राधिकारी के समक्ष इस हेतु अलग से आवेदन कर सकते हैं जिस पर नियमों के प्रावधान एवं आवेदकगण की पात्रता अनुसार सक्षम स्तर पर विचार किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में निर्देश देना इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है।

14– परिणामतः हस्तगत निगरानी संख्या 510/2003 को एतदद्वारा खारिज किया जाता है और निगरानी संख्या 8153/2001 को स्वीकार करते हुये न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर, झुन्झुनु द्वारा अपील संख्या 23/2001 में पारित आदेश दिनांक 07–03–2001 को बहाल रखा जाता है और राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर कैम्प झुन्झुनु द्वारा अपील संख्या 20/2001 में पारित आदेश दिनांक 05–12–2001 को अपास्त किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मूलचन्द मीणा)
सदस्य